न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/56/2021

नरेन्द्र गोदारा पुत्र सुगड सिंह रेल्वे लाइन के पास गायत्री कांलोनी नदबई जिला भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 04.08.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नरेन्द्र गोदारा पुत्र सुगड सिंह रेल्वे लाइन के पास गायत्री कांलोनी नदबई जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2021 प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/476 दिनांक 22.07.2021.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक/5201 दिनांक 02.08.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 5201 दिनांक 02.08.2021 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को भी पत्र कमांक 3733 दिनांक 18.06.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर